न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 29/2020
GCMS NO. : 2020/00107

–:: प्रार्थीगण ::–

1. नेमाराम पुत्र जीयाराम
2. केली पुत्री जीयाराम
3. गंगा पुत्री जीयाराम
4. सुखी पुत्री जीयाराम
   जातियान–सीरवी निवासीगण
   पाटवा तहसील जैतारण
   जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. जीयाराम पुत्र हुकमाराम
2. मैना पुत्री जीयाराम पत्नी तुलछाराम, बेरा गुंदा की बाड़ी पाटवा
3. रामलाल पुत्र जीयाराम
4. माधुराम पुत्र रामलाल
5. चन्द्रप्रकाश पुत्र रामलाल
   जातियान–सीरवी निवासीगण बेरा काकडिया पाटवा तहसील जैतारण जिला–पाली।
6. ग्राम पंचायत पाटवा पंचायत समिति जैतारण जिला पाली
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 13/07/2020

उपस्थितः. 1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री महावीर सिंह उदावत की ओर से ब्रीफ होल्डर, श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 15/03/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान की संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की पुश्तैनी/पैतृक शामलाती कृषि भूमि सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली में है जो निम्नानुसार है– खाता संख्या 804 खसरा नम्बर 79 रकबा 20–01 बीघा किस्म चाही दोयम, खाता संख्या 805 खसरा संख्या 51 रकबा 29–05 बीघा, खसरा संख्या 60 रकबा 06–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खाता संख्या 806 खसरा संख्या 81 रकबा 00–01 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 82 रकबा 02–13 बीघा किस्म गै.मु. सड़ा, खाता संख्या 802 खसरा संख्या 65 रकबा 14–14 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 66 रकबा 00–09 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 67 रकबा 24–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 69 रकबा 27–17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या [illegible] बीघा किस्म चाही दोयम आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर [illegible] सायलान एवं गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या 1 से लगायत 5 के पूर्वज/पिता/प्रपिता हुक्मा वल्द मोटा सीरवी बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज थे तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा सायलान एवं गैरसायलान के पूर्वज हुक्मा वल्द मोटा सीरवी वगैराह के नाम से पर्चा लगान मय खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 जारी किया गया। सायलान एवं गैरसायलान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती पैतृक एवं पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। सायलान के पूर्वज/ पिता/ प्रपिता हुक्मा वल्द मोटा सीरवी का देहान्त आज से करीबन 49 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा हुक्मा वल्द मोटा सीरवी के देहान्त के बाद उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि में गैरसायल सं. 1 जीयाराम, व हापूराम, धनाराम पिसरान हुक्मा उर्फ हुक्माराम नाम जरिए म्यूटेशन संख्या 455 बतौर विधिक उत्तराधिकारी के काबिज हुये व फौतेदगी म्यूटेशन के वादग्रस्त आराजी हुक्मा वल्द मोटा के उत्तराधिकारी के तौर पर गैरसायलान सं. एक व हापूराम, धनाराम पिसरान हुक्मा उर्फ हुक्माराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, जिसका इन्द्राज जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2025–2028 में है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी गैरसायल संख्या 1 जीयाराम को अपने पिता/प्रपिता से विरासत में प्राप्त हुई है। सायलान एवं गैरसायलान सं. 1 से 5 की वंश वंशावली प्रार्थना–पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंशवृक्ष अनुसार सायलान एवं गैरसायल संख्या 2 व 3 जो गैरसायल संख्या 1 जीयाराम के विधिक उत्तराधिकारी है व हुक्मा वल्द मोटा सीरवी के पौत्र/पौत्री के तौर पर वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार को काबिज है व उपयोग–उपभोग एवं रहवास करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि गैरसायल सं. 1 जीयाराम वल्द हुक्मा उर्फ हुक्माराम सीरवी की स्वअर्जित कृषि भूमि नहीं है यानि वक्त सेटलमेंट से पूर्व से आज दिन तक पीढ़ी दर पीढी सायलान एवं गैरसायलान वादग्रस्त भूमि का उपयोग–उपयोग काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी गैरसायल सं. 1 जीयाराम को विरासत में प्राप्त हुई है तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को गैरसायल सं. 1 को केवल भोगने का ही एकमात्र अधिकार है मगर गैरसायल सं. 1 जीयाराम को मुगालते में रखकर संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती पुश्तेनी भूमि से सायलान को वंचित (महरुम) करने की नियत से प्रार्थना पत्र खाता संख्या 804 में 1/8 वां हिस्सा, खाता संख्या 805 में 1/3 हिस्से का 1/2 वां हिस्सा, खाता संख्या 806 भूमि में 1/16 हिस्से का 1/2 वां हिस्सा एवं खाता संख्या 802 वर्णित भूमि में 1/8 का 1/2 वां हिस्से की भूमि छलपूर्वक बाले–बाले दिनांक 04/02/2020 को गैरसायलान 4 एवं 5 ने गैरसायल 1 से अपने पक्ष में लिखित पंजीबद्ध बैचान तहरीर व तकमील करवा दिया, इस लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 04/02/2020 के आधार पर गैरसायलान 4 व 5 के नाम जरिऐ नामान्तरकरण सं. 2689/20.02.2020 को ग्राम पंचायत पाटवा द्वारा स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। उक्त नामान्तरकरण सं. 2689/20.02.2020 सायलान के हक व हितों के विरूद्ध बेअसर है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा रद्द घोषित कराने नामान्तरकरण खिलाफ गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त आराजी में सायलान एवं गैरसायल संख्या 2 व 3 को बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बर्थ (जन्म से) से हक अधिकार व हिस्सा निहित है उक्त भूमि सायलान एवं गैरसायल सं. 1 से 3 की संयुक्त हिन्दु मुस्तर्का खानदान की अविभक्त शामलाती पैतृक कृषि भूमि है जो सायलान को अपने पिता/प्रपिता/पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर सायलान बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है जिसका आज दिन तक पैतृक कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। सम्पूर्ण भूमि मौके पर एक चक है साथ ही राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेश में भी एक चक के रूप में स्थित है। गैरसायलान लिखित पंजीबद्ध बैचान के आधार पर भरे गये म्यूटेशन सं. 2689/20.02.2020 के तहत वादग्रस्त भूमि से दिनांक 14.06.2020 को सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया, तब सायलान ने तत्काल राजस्व कर्मचारियों से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की। तब सायलान को पुश्तैनी कृषि भूमि का गलत म्यूटेशन की जानकारी हुई व राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर सायलान को उनके हक हिस्से की पुश्तैनी भूमि से बेदखल करने का गैरसायलान को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान सं. 1 से 5 के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं मौके पर गंगी कब्जा काश्त एवं दस्तावेजात् के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला साबित है साथ ही सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित वादग्रस्त खसरान भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के हिस्सानुसार सायलान काबिज है इसलिए गैरसायलान वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि का बैचान, हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही सायलान के हक हिस्से की भूमि में दखलांदाजी, बाधा, अडचन पैदा करने, ऐसा करने से गैरसायलान को वाद के अन्तिम निर्णय तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 2 व 6 बावजूद नोटिसेज सूचना के एवं बार–बार रूक–रूक कर अवाजें दिलाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1, 3 से 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 3 से 5 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित होने के कथन सही एवं सत्य है तथा शेष कथन अस्वीकार है। पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य प्रार्थना–पत्र करने की गरज से लिखाया गया है जिसे प्रार्थीगण साबित करें। पद संख्या 3 में वर्णित वंशावली जो मनगढन्त एवं असत्य होने से अप्रार्थीगण अस्वीकार करते है। पंजीबद्ध बेचान दिनांक 04/02/2020 एवं उसके आधार पर पारित [illegible] दिनांक 20/02/2020 सही एवं विधि सम्मत है तथा इस पंजीबद्ध बेचान [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 जीयाराम द्वारा सही एवं विधि सम्मत अपने खातेदारी अधि[illegible] के तहत करवाया गया है। शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कथन झूठे होने से अस्वीकार किये जाते है। पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य प्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं है तथा प्रार्थीगण केलीदेवी, गंगादेवी एवं सुखीदेवी तीनों ही पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से अपने ससुराल में रहती है तो भूमि पर किसी प्रकार से कोई हक अर्जित नहीं है तथा शेष कथन झूठे असत्य एवं प्रार्थना–पत्र करने की गरज से लिखे होने से जवाब देहान्दा अस्वीकार करते है। पद संख्या 6 का जवाब है कि जीयाराम उक्त सम्पत्ति का खातेदारी काश्तकार एवं मालिकाना हक अधिकार होने से उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पूर्ण हक अधिकार जीयाराम को प्राप्त थे तथा इन्हीं अधिकारों के तहत जीयाराम ने जो बेचान पंजीबद्ध दिनांक 04/02/2020 को करवाया जो विधि सम्मत है। शेष कथन झुठे होने से अस्वीकार है। जीयाराम द्वारा 04/02/2020 को किया बेचान आधार पर ही नामान्तरण पारित किया गया है तथा बेचान के साथ ही मौके पर भौतिक रूप से कब्जा भी सुपुर्द कर दिया तथा शेष कथन अस्वीकार है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हर दृष्टिकोण से प्रमाणित है। यदि गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी हर दृष्टिकोण से अप्रार्थीगण को होगी एवं अप्रार्थीगण अपने जायज हक हकुकों एवं अधिकारों से हमेशा–हमेशा के लिए महरूम हो जायेंगे इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

गैरसायल संख्या 1 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि सरहद मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण में वाके आराजी मुझ प्रतिवादी को विरासत में प्राप्त हुई है। जो हिन्दू मुर्स्तका खानदान की अविभक्त सामलाती कृषि भूमि है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर वक्त सेटलमेन्ट मेरे पिता हुक्मा वल्द मोटा सिरवी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज थे तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा हुक्मा वल्द मोटा सिरवी के नाम खतौनी बंदोबस्त जारी की गई। सायलान एवं गैरसायलान संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है, जो मुझ गैरसायलान के पिता हुक्मा वल्द मोटा सिरवी के देहान्त के बाद उक्त वर्णित कृषि भूमि में जीयाराम व हापुराम, धन्नाराम पिसरान हुक्मा नाम जरिये म्युटेशन संख्या 455 बतौर विधिक उत्तराधिकारी के काबिज हुए तथा उक्त म्युटेशन के आधार पर उत्तरदाता का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित वंशवृक्षावली सही एवं सत्य है। उक्त विवादग्रस्त आराजी गैरसायलान संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि नहीं होने का कथन सही है। वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से आज दिन तक विवादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग काश्त संयुक्त रूप से करता आ रहा है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित कथन सही एवं सत्य है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि गैरसायल संख्या 1 को विरासत में मिली है। केवल भोगने का ही एक मात्र अधिकार है। गैरसायल संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या [illegible] रख कर बाले–बाले दिनांक 04/02/2020 को लिखित पंजीबद्ध बेच[illegible] एवं तकमील कर दिया। उक्त भूमि के बेचान के वक्त मुझ [illegible] को कोई [illegible] प्रतिफल की राशि अदा नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है व न ही भूमि के बैचान का इल्म था। पुश्तैनी पैतृक भूमि में सायलान का भी हक हिस्सा निहित है। उक्त बेचान से गैरसायल संख्या 4 व 5 को कोई हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त नहीं होते है उक्त तथ्यों के अलावा अन्य कथन लाईल्मी होने से अस्वीकार है। पैरा संख्या 6 गैरसायलान को जानकारी के अभाव में लाईल्मी होने से अस्वीकार है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि कब्जा गैरसायलान 4 व 5 को सुपुर्द नहीं किया। उक्त भूमि सायलान ने गैरसायलान की कृषि आराजी हिन्दु मुर्स्तका खानदान की शामलाती भूमि है। उक्त तथ्यों के अलावा अन्य कथन लाईल्मी है। पैरा संख्या 7 का जवाब है कि गैरसायल संख्या 1 को मुगलाते में रख कर गैरसायल संख्या 4 व 5 ने अपने पक्ष में करवाया गया लिखित बेचाननामा जो गलत करवाया गया है। गैरसायल संख्या 4 व 5 मुझ गैरसायल के रिश्ते में पौत्र है। मेरा वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठा कर बाले-बाले अपने पक्ष में बेचान करा लिया है, जो गैर कानूनी है। जो सही व सत्य है। इसलिए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पेरा संख्या 7 लाईल्मी होने से अस्वीकार है। अतः निवेदन है कि जवाब प्रा.पत्र स्वीकार फरमाकर सायलान का प्रा.पत्र मय खर्चे व हर्जे के खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायलान/प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। सायलान/प्रार्थीगण ने यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख सायलान के पूर्वज/पिता/प्रपिता हुक्मा वल्द मोटा सीरवी के देहांत पश्चात् गैरसायल संख्या 1 जीयाराम (प्रार्थीगण के पिता), हापूराम, धनाराम पिसरान हुक्मा का नाम जरिये म्यूटेशन संख्या 455 के दर्ज हुआ, अतः गैरसायल संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी विरासत में आई हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2025-2028 के अवलोकन से प्रार्थीगण के उक्त कथन पुष्ट होते है। गैरसायल संख्या 1 (प्रार्थीगण के पिता) ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में प्रार्थीगण के उक्त कथन स्वीकार किये है व उनका किसी भी रूप में खण्डन नहीं किया। गैरसायल संख्या 3 से 5 ने प्रार्थी के उक्त कथन का खण्डन भी नहीं किया है। प्रार्थीगण ने यह कथन किया कि गैरसायल संख्या 1 को मुगालते में रखते हुए लिखित पंजीकृत बेचान[illegible] 04/02/2020 को जरीये ना. मां.संख्या 2689/20.02.2020 से वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में गैरसायल संख्या 4 व 5 का नाम दर्ज हुआ तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2689/20.02.2020 सायलान के हक–अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है। गैरसायल संख्या 1 ने प्रार्थी के उक्त कथन स्वीकार किये जबकि गैरसायल संख्या 3 से 5 ने प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेखीय दस्तावेज की प्रतियों यथा खतौनी बंदोबस्त 2011–2030 एवं जमाबन्दी संवत् 2017–2020 एवं जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के अवलोकन से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि गैरसायल संख्या 1 (प्रार्थीगण के पिता) को वादग्रस्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से हक–अधिकार निहित होता है। प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रा.पत्र में सशपथ स्वयं को गैरसायल संख्या 1 जीयाराम के वारिसान होना बताया है जिसका जीयाराम द्वारा खण्डन भी नहीं किया है। उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सायलान/प्रार्थीगण के हक–हिस्से की सीमा तक प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** गैरसायल संख्या 1 (प्रार्थीगण के पिता) ने अपने जवाब प्रा.पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में यह कथन किये कि पैतृक पुश्तैनी भूमि में सायलान का भी हक–हिस्सा निहित है एवं उक्त कृषि भूमि का कब्जा उसने गैरसायलान को सुपुर्द नहीं किया। गैरसायल संख्या 3,4 व 5 ने प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन किया। चुंकि प्रथम बिंदू सायलान/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में जन्म से ही वारिसान का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। इसके अतिरिक्त, वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में नाम दर्ज होने से गैरसायलान द्वारा यदि प्रार्थीगण के हक–हिस्से की आराजी का किसी अन्य को हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह बिन्दू भी वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थीगण के हक–हिस्से तक की आराजी की सीमा तक सायलान/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू सायलान/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही चुंकि गैरसायलान का वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में नाम दर्ज है जिससे उनके द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी का किसी अन्य को हस्तान्तरण करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी व प्रार्थीगण को सुगम न्याय निर्णयन में अनावश्यक विलंब होगा। जिससे निश्चित ही सायलान/प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हक–हिस्से तक की आराजी में अपूरणीय क्षति बिंदू सायलान/प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

(कोर्ट ... (पाली)

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि हम प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 से 5 को वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हक–हिस्से तक की आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना विधि–संगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर **गैरसायल संख्या 1 से 5** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा पाटवा पटवार हल्का पाटवा तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) में स्थित खाता संख्या 804 खसरा नम्बर 79 रकबा 20–01 बीघा किस्म चाही दोयम, खाता संख्या 805 खसरा संख्या 51 रकबा 29–05 बीघा, खसरा संख्या 60 रकबा 06–00 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खाता संख्या 806 खसरा संख्या 81 रकबा 00–01 बीघा किस्म गै.मु. बेरा, खसरा संख्या 82 रकबा 02–13 बीघा किस्म गै.मु. सड़ा, खाता संख्या 802 खसरा संख्या 65 रकबा 14–14 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 66 रकबा 00–09 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 67 रकबा 24–03 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 69 रकबा 27–17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 80 रकबा 16–10 बीघा किस्म चाही दोयम में **प्रार्थीगण के हक हिस्से तक की** आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 15/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested